रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2012/पौष 20, 1933

No. 5] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2012/PAUSA 20, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 5(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :-

'3. अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता - (1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पद के लिए तभी अर्हित होगा जब -

(क) वह भारत सरकार में नियमित आधार पर सचिव या भारत सरकार में कम से कम दो वर्ष से अपर सचिव, या समतुल्य पद धारित करता है या धारित किया हो; या

(ख) पब्लिक सेक्टर उपक्रम विभाग द्वारा यथा अधिसूचित अनुसूची 'क' केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, जो मुख्यत: अवसंरचना जिसके अंतर्गत अवसंरचना वित्त-पोषण भी है, में कार्यरत हैं, के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक है या रहा हो; या

(ग) अवसंरचना क्षेत्र में कार्यरत पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की अस्तित्व में या अवसंरचना वित्त-पोषण के क्षेत्र में कार्यरत अस्तित्व, जिसका शुद्ध मूल्य दो हजार करोड़ रुपए से कम न हो, में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या निदेशक या समतुल्य पद धारित करता है या किया हो ;

और उसे अवसंरचना और वित्त क्षेत्र में कार्य करने का वृत्तिक ज्ञान और अनुभव हो :

परन्तु उक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अस्तित्व से किसी व्यक्ति पर अध्यक्ष के पद के लिए तभी विचार किया जाएगा जब उसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ कार्य करने वाली संस्था की अपनी नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात् दो वर्ष की विराम अवधि पूरी कर ली हो ।'

(2) अध्यक्ष की नियुक्ति, खोज समिति की सिफारिशें प्राप्त किए जाने के पश्चात् की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) मंत्रिमंडल सचिव	-	अध्यक्ष
(ख) सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	-	सदस्य
(ग) सचिव, योजना आयोग	-	सदस्य
(घ) निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद या बंगलौर या कोलकाता या इन्दौर या कोझीकोड या लखनऊ	-	सदस्य
(ड.) अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड या भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा	-	सदस्य

3. उक्त नियमों के नियम 5 उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(1) अध्यक्ष, इस रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और दो वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु अध्यक्ष, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।'

[फा. सं. ए-12025/35/2008-ई-II(बी)]

राघव चन्द्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम संख्यांक, सा.का.नि. 507 (अ) तारीख 23 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. सं. 631 (अ) तारीख 12 अक्तूबर, 2006 सा.का.नि. सं. 549 (अ) तारीख 24 जुलाई, 2009, सा.का.नि. सं. 711 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 2009 और सा.का.नि. सं. 483 (अ) तारीख 8 जून, 2010 के द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2012

G.S.R. 5(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 34 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

'3. Qualification for appointment as Chairman.– (1) A person shall not be qualified for the post of Chairman unless he, -

(a) is holding or has held on regular basis the post of Secretary to the Government of India or Additional Secretary to the Government of India for at least two years, or equivalent; or

(b) is or has been a full-time Director on the Board of a Schedule 'A' Central Public Sector Undertaking notified as such by the Department of Public Sector Enterprises engaged primarily in infrastructure including infrastructure finance; or

(c) is or has been a chief executive officer or Director or holding an equivalent position in a public or private sector infrastructure entity or an entity engaged in infrastructure finance, having a net worth of not less than two thousand crore rupees,

and has professional knowledge and experience of dealing with infrastructure and finance:

Provided that any person from the entity referred to in clause (c) shall be considered for the post of Chairman only after cooling off period of two years after he had resigned from his job from the entity having dealings with the National Highways Authority of India.

(2) The appointment of the Chairman shall be made after obtaining the recommendations of a Search Committee consisting of -

(a)	the Cabinet Secretary	-	Chairperson;
(b)	the Secretary, Ministry of Road Transport and Highways	-	Member;
(c)	the Secretary, Planning Commission	-	Member;
(d)	the Director, Indian Institute of Management, Ahmedabad or Bangalore or Kolkatta or Indore or Kozikode or Lucknow	-	Member;
(e)	the Chairman-cum-Managing Director, Indian Infrastructure Finance Corporation Limited or State Bank of India or Punjab National Bank or Bank of India or Bank of Baroda	-	Member.

3. In the said rules, in rule 5, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The Chairman shall hold office as such for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment for a further term of two years:

Provided that no Chairman shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.".

[F. No. A-12025/35/2008-E-II (B)]
RAGHAV CHANDRA, Jt. Secy.

Note :- The principal rules were published vide number G.S.R. 507(E), dated the 23rd June, 2003 and subsequently amended vide number G.S.R. 631(E), dated the 12th October 2006, number G.S.R. 549(E), dated the 24th July, 2009, number G.S.R. 711 (E), dated the 30th September, 2009 and number G.S.R. 483(E), dated the 8th June, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.